

Member of Parliament Local Area Development Scheme



भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

22.07.2010

Dated

No. C/03/2009-MPLADS

To

**The Commissioners,
Municipal Corporations of Kolkatta/Chennai/Delhi
District Collectors/District Magistrates/Dy. Commissioners,
All Districts.**

Subject: Modification of item-8 of Annexure-II of MPLADS Guidelines.

Sir/Madam,

Based on the clarification sought by District Authorities, the Ministry has felt that the 10% of the cost of the work is not adequate for completion of the work and the extant condition of 10% of the capital cost of the work mentioned in item-8 of Annexure-II of the MPLADS Guidelines requires modification.

2. This issue has been examined in the Ministry and it has been decided that purchase of moveable items, mentioned at Sl. No. 8 of Annexure-II of the MPLADS Guidelines, for **Government organizations** may not be subject to the condition of 10% of the capital cost of the work. However, it is reiterated that purchase of moveable items viz. **vehicles, earthmovers and equipments meant for hospitals, educational, sports, drinking water and sanitation purposes are permissible only for organizations belonging to Central, State, UT and Local Self Governments.**

Yours faithfully,

(Kiran Vasudeva)

Under Secretary to the Govt. of India
Telefax:-011-23743291

Copy to:

1. All Hon'ble Members of Parliament (Lok Sabha and Rajya Sabha).
2. The Secretary, Nodal Departments of MPLADS (all States/UTs).
3. The Director, Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
4. The Director, Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
5. NIC, MOSPI and all all concerned in MPLADS Division.

Member of Parliament Local Area Development Scheme



भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

सं.सी/03/2009-एमपीलैड्स

Dated22.07.2010.....

सेवा में

आयुक्त,
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम,
सभी जिलों के जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त ।


विषय: एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुबंध-II की मद-8 का संशोधन ।

महोदय/महोदया,

जिला प्राधिकारियों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के आधार पर मंत्रालय ने यह महसूस किया है कि कार्य को पूरा करने के लिए कार्य की लागत की 10 प्रतिशत राशि पर्याप्त नहीं है और एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुबंध-II की मद-8 में उल्लिखित कार्य की पूंजीगत लागत की 10 प्रतिशत राशि की मौजूदा शर्त में संशोधन की आवश्यकता है ।

2. इस मामले की मंत्रालय में जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी संगठनों के लिए एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुबंध-II की क्रम सं. 8 में उल्लिखित चल वस्तुओं की खरीद, कार्य की पूंजीगत लागत की 10 प्रतिशत की शर्त के अधधीन नहीं होगी । तथापि, यह दोहराया जाता है कि चल वस्तुओं अर्थात् वाहन, अर्थमूवर्स और अस्पतालों के लिए आशयित उपकरणों, शैक्षणिक, खेल, पेयजल और साफ-सफाई के प्रयोजनार्थ काम आने वाली वस्तुओं की खरीद की अनुमति केवल केन्द्र, राज्य, संघ राज्यक्षेत्र और स्थानीय स्वशासन से संबंधित संगठनों के लिए ही होगी ।

भवदीय,


(किरन वासुदेवा)

अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफैक्स: 011-23743291

प्रतिलिपि:

1. सभी माननीय सांसद(लोक सभा और राज्य सभा)
2. सचिव, एमपीलैड्स नोडल विभाग(सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
3. निदेशक, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
4. निदेशक, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
5. एनआईसी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।